रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22072026-274719
CG-DL-E-22072026-274719

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 17, 2026/आषाढ 26, 1948
No. 466] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17, 2026/ASHADHA 26, 1948

भारतीय उपचर्या परिषद

प्रत्याहार आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2026

फा.सं. 18–216/2002–आईएनसी .— समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय उपचर्या परिषद् अधिनियम, 1947 (1947 का XLVIII) की धारा 14 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय उपचर्या परिषद् एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश जारी करती है :–

जबकि, सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, खस्सी कलां, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब को पंजाब राज्य सरकार तथा पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मान्यता दी गई थी।

वहीं, डिपार्टमेंट ऑफ नर्सिंग एजूकेशन एंड रिसर्च, पंजाब सरकार ने ज्ञापन संख्या डीएमईआर/वी1156263/2025 दिनांक 21.07.2025 के माध्यम से, उक्त संस्थान की उपयुक्तता को रद्द/वापस लेने के संबंध में अपनी सिफारिश भेजी थी।

चूंकि, यह मामला दिनांक 11.09.2025 को आयोजित भारतीय उपचर्या परिषद् की कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया था, और सरकार की सिफारिश तथा अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर समुचित विचार–विमर्श के उपरांत, समिति ने उपयुक्तता वापस लेने की सिफारिश की थी।

अतः, अब, सतगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एजुकेशन, खस्सी कलां, ताजपुर रोड, लुधियाना, पंजाब की, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए प्राप्त मान्यता, एतद्द्वारा **दिनांक 11.09.2025** से वापस ली जाती है।

डॉ. टी. दिलीप कुमार, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./235/2026-27]

INDIAN NURSING COUNCIL

WITHDRAWAL ORDER

New Delhi, the 17th July, 2026

F. No. 18-216/2002-INC.— In exercise of the powers conferred under Section 14 of the Indian Nursing Council Act, 1947 (XLVIII of 1947), the Indian Nursing Council hereby issues the following order:

Whereas, Satguru Institute of Nursing Education, Khassi Kalan, Tajpur Road, Ludhiana, Punjab was recognized by the State Government of Punjab and Punjab Nurses Registration Council to conduct the General Nursing and Midwifery (GNM) course.

Whereas, the Department of Medical Education & Research, Government of Punjab, vide Memo No. DMER/V1156263/2025 dated 21.07.2025, forwarded its recommendation for cancellation/withdrawal of suitability of the said institution.

Whereas, the matter was placed before the Executive Committee of the Indian Nursing Council in its meeting held on 11.09.2025, and after due consideration of the Government recommendation and relevant provisions under the Act, the Committee recommended withdrawal of suitability.

Now, therefore, the recognition of Satguru Institute of Nursing Education, Khassi Kalan, Tajpur Road, Ludhiana, Punjab, for conducting the General Nursing and Midwifery (GNM) course is hereby withdrawn with effect from 11.09.2025.

Dr. T. DILEEP KUMAR, President

[ADVT.-III/4/Exty./235/2026-27]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.07.22 21:49:21 +05'30'